न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 422 सन 2019
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योकरण पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. भादरराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
3. काशीराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
4. चन्द्रावली पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
5. रामकोरी पुत्री श्योकरा जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08/05/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 219/204 के खाता संख्या 219/204 की कुल 4.3370हैक व खाता संख्या 220/205 की कुल 7.0820हैक एवं रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 458/445 की कुल 5.9430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई की गई थी वह सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है काफी वृद्ध हो चुका है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता कालुराम वल्द पुराराम के देहान्त होने एवं उसके पिता कालुराम वल्द

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पुराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 जो वादी की बहने है व प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 219/204 के खाता संख्या 219/204 की कुल 4.3370हैक व खाता संख्या 220/205 की कुल 7.0820हैक एवं रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 458/445 की कुल 5.9430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई की गई थी वह सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहगति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 219/204 के खाता संख्या 219/204 की कुल 4.3370हैक व खाता संख्या 220/205 की कुल 7.0820हैक एवं रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 458/445

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की कुल 5.9430हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2012 मिलान क्षेत्रफल भू.प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति में परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होता है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा कालुराम वल्द पुराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की पैतृक सम्पति सावित होने एवं सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति सावित होने के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 219/204 की कुल 4.3370हैक्ट व खाता संख्या 220/205 की कुल 7.0820है व रोही मोजा जबरासर के खाता संख्या 458/445 की कुल 5.9430हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वहिंच के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 श्योकरण पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. भादरराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
3. काशीराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
4. चन्द्रावली पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
5. रामकोरी पुत्री श्योकरा जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 422 सन 2019 निर्णय दिनांक–08/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 219/204 की कुल 4.3370हैक्‍ व खाता संख्या 220/205 की कुल 7.0820है व रोही मोजा जबरासर के खाता संख्या 458/445 की कुल 5.9430हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner